

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 418/2025

अनवान : -

- 1 अनुपम पुत्र पतराम जाति गोसाई निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादी

बनाम्

- 1 संजय गोस्वामी पुत्र श्रवण कुमार जाति गोसाई निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।  
2 गुरदयाल पुत्र मनफूल जाति गोसाई निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।  
3 पतराम गिर पुत्र मदनगिर जाति गोसाई निवासी मल्लड़खेड़ा त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है वादी व प्रतिवादीगण को काश्तकार घोषित किया जाता है कि क. वादी अनुपम को प्राप्त आराजी:- चक नं० 11 एम. के. एस के खाता सं० 103 / 10 में कुल 1.518 है० में से गुरदयाल का 1/2 हिस्सा वादी अनुपम को प्राप्त । ख. प्रतिवादी सं० 1 गुरदयाल को प्राप्त आराजी :- चक नं० 11 एम. के. एस के खाता सं० 116 / 105 के प०न० 183 / 231 मु० 24 किलानं० 5/1/.203, 5/2/.025 है० गै०मु० खाला, 5/3/.025 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 184 / 231 मु० 25 किलानं० 10,11, ग.वादी अनुपम 0.633 है० व प्रतिवादी सं० 1 संजय 0.885 है० :- चकनं० 11 एम. के. एस के प०न० 184 / 232 मु० 28 किलानं० 17,24, प०न० 184 / 233 मु० 37 किलानं० 4,5, प०न० 185 / 233 मु० 28 किलानं० 1,2 इसी अनुसार चक 11 एमकेएस के खाता सं० 103/10 में से प्रतिवादी सं० 2 गुरदयाल का नाम कलमजन व चक 11 एमकेएस के खाता सं० 51/46 में से प्रतिवादी सं० 3 पतराम गिर का हिस्सा कम किया जावे। विभाजन अलग से कायम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 30/01/26.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री सत्यनारायण (किलेक्टर)  
टिब्बी

R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़